

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक...../एम.सी./अराज/05/2023

भोपाल, दिनांक...../02/2023

**// अनापत्ति प्रमाण - पत्र //**

गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में कार्यरत स्टाफ नर्सों से संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा जारी अनुशंसा सहित प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-एफ-2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 के नियम 10(अ) के बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक के नियमों के अन्तर्गत आपसी सहमती से परस्पर अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्तों पर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है ।

क	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	संवर्ग	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	संवर्ग	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	मीना पटेल	अ0पि0व0	हमी0 चिकित्सालय	प्रीती कुशवाहा	अ0पि0व0	चि0महावि0 रीवा
2	मोनिका निनामा	अ0ज0जा0	हमी0 चिकित्सालय	मिथलेश्वरी धुर्वे	अ0ज0जा0	चि0महावि0 रतलाम
3	दीपा धीमान	अ0जा0	हमी0 चिकित्सालय	प्रीती मसानी	अ0जा0	चि0महावि0 इंदौर

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 4876-83/एम.सी./अराज-5/2023

भोपाल, दिनांक 6/02/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम/महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
3. मेड्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
4. संबंधित मीना पटेल/मोनिका निनामा/दीपा धीमान, स्वशासी स्टाफ नर्स द्वारा:- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल